राजस्व आवेदन संख्या - 75/71
राजस्थान सरकार बनाम सत्यनारायण

	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/03/2021	पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O.साहब अवकाश पर होने से पत्रावली दिनांक 22/03/2021 को पेश हो।	
22/03/2021	पेशीकार सरकार उप०। प्रार्थी सं. 2 के वकील उप० पेशीकार सरकार व प्रार्थी सं. 2 के वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र संख्या 195/91 को दि० 20-12-1994 को स्वीकार कर मौजा बालोतरा के ख.नं. 665 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि रकबा राज घोषित कर, प्रार्थीगण को बेदखल करने के आदेश पारित किये गये थे। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी (बाड़मेर-जैसलमेर) मु० जोधपुर ... अपील सं. 9/1999 ... राजस्थान सरकार में पारित ... दिनांक 22.08.2001 के द्वारा इस न्यायालय के	22/03/2021

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:37:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्व आवेदन
...

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
	निर्णय दि० 13.07.1999 एवं पूर्व में पारित निर्णय दि० 20.12.1994 को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु एवं पक्षकारों का अवसर देते हुए निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।
	विपक्षी सं. 2 की ओर से श्री कन्ना राम वकील ने जवाब पेश किया गया, जवाब में कथन किया गया कि निगरानीकर्ता ने उक्त भूमि का उपयोग कभी भी आवासीय के रूप में नहीं किया। विपक्षीगण द्वारा उक्त भूमि का कृषि कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता रहा है। दि० 6-12-1994 को न्यायालय में हल्का पटवारी ने उपस्थित होकर बयान करवाये थे, पटवारी के उक्त बयानों में भी उक्त भूमि को आवास के रूप में उपयोग लेने का कथन नहीं किया है। संवत 2050-51 की गिरदावरी में पटवारी द्वारा ... दर्ज नहीं करने के ... उक्त भूमि के चारों ओर चार दीवारी ... देने का

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:37:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्व अपील संख्या - 195/91
राजस्थान सरकार बनाम अचलाराम

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
भूमि पर उपयोग अकृषि नहीं माना जा सकता। विपक्षीगण ने चार दीवारी क्षेत्र की सुरक्षा व सुधार के लिए बनाई थी, पशुओं के छाया के लिए छपरा व पशुओं के घास चारा आदि के लिए एक कमरा बनाया था, जो अकृषि कार्य की परिभाषा में नहीं आता है, पटवारी हल्का द्वारा किये गये गलत इन्द्राज के आधार पर विपक्षीगण की खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं की जा सकती है। विपक्षीगण खातेदारों द्वारा काश्तकारी शर्तों का कोई भंग नहीं किया गया है। इसलिए राजस्व अपील अधिकारी, न्यायालय द्वारा पुनः विचार किया गया है, विपक्षीगण के नाम पुनः खातेदारी यथावत दर्ज कराने का निवेदन किया गया।	
तहसीलदार ... सरकार निवेदन किया कि मौके पर आंशिक भाग	

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:37:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
	पर पक्के मकान व चार दीवारी बनाकर प्लाट बनाये गये है. खसरा गिरदावरी संवत 2050 से 2077 तक उक्त भूमि का कृषि प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया गया है. नजरी नक्शा के अनुसार मौके पर दुकान, मकान, अग्रसेन भवन, चार दीवारी आदि पक्के निर्माण किये हुए है। कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन उपयोग हो रहा है. विपक्षीगण द्वारा कृषि प्रयोजन किसी प्रकार से नहीं किया जा रहा है। विपक्षीगण के द्वारा कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग उपभोग नहीं कराने के खातेदारी अधिकार समाप्त कराने का प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विधि सम्मत प्रस्तुत किया गया है. विपक्षीगण के द्वारा बालोतरा ... रकबा 4.10 बीघा भूमि खातेदारी का अकृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:37:51 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Scanned with CamScanner

राजस्व अपील/निगरानी संख्या 195/19
कमलाराम बनाम सरकार बनाम अन्य

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रयोजनार्थ ही उपयोग व उपभोग किया गया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन होने से खातेदारी अधिकार समाप्त करवाने का निवेदन किया गया।	
विपक्षीगण के वकील ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा S B civil रिट पिटीशन संख्या 1042/2018 भंवरलाल बुधराज vs उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा में पारित निर्णय दिनांक 23-01-2018 के द्वारा उक्त प्रकरण का 6 माह में निस्तारण कराने के निर्देश प्रदान किये गये है, तथा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के द्वारा पारित निर्णय के अनुसरण में विपक्षीगण के द्वारा उक्त आराजी का कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मौके पर किया जाना बताया गया।	

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:37:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
	विद्यार्थीगण के द्वारा अपनी खातेदारी खेत की सुरक्षा के लिए चारदीवारी व छपरा व पक्का कमरा पशुओं का बनाने व घास रखने हेतु निर्माण किया जाना बताया गया, विद्यार्थीगण ने कृषि प्रयोजनार्थ की अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग करना जाहिर कर प्रार्थी के आवेदन पत्र के तथ्यों को अस्वीकार कर खारिज कराने का निवेदन किया गया।
	हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन यह स्पष्ट साबित है कि खसरा गिरदावरी नकले संवत 2050-2077 तक उक्त खातेदारी भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ [illegible] के द्वारा उपयोग [illegible] गया है। बल्कि मौके पर [illegible] कृषि प्रयोजनार्थ

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:37:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
दुकानें, पक्के आवासीय मकान, मेघवाल समाज का भवन, व चार दीवारी मौके पर निर्मित है। विवादित आराजी का उपयोग व उपभोग कृषि कार्य के भिन्न अकृषि प्रयोजनार्थ मौके पर किया जाना स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। विपक्षीगण के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का उल्लंघन करने प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर मौजा बालोतरा के खेत खसरा नम्बर 665 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा विवादित आराजी में विपक्षीगण के खातेदारी अधिकार को समाप्त कर रकबा राज किस्म कब्जा राजस्थान राज्य के नाम घोषित किया जाता है। उक्त विवादित [illegible] विपक्षीगण	

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:37:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
	को बेदखल कर कब्जा राज्य के पक्ष में प्राप्त करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जावे।
	(नरेश सोनी) उपखण्ड अधिकारी बालोतरा
	निर्णय आज दिनांक 22.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
	(नरेश सोनी) उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

प्रति प्राप्त की
24/9/2021
भगाराम, व.स.
तहसील पचपदरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:37:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner